Revision of contract Labour Laws

*488. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Goverrnment are all set to abandon radical revision of its laws on contract labour and opt for creeping reforms that would progress step by step;

(b) whether Government propose to amend the laws on contract labour and shift the responsibility for labour welfare from the employer to the contractor and to remove the distinction between core and non-core activities; and

(c) if so, what are the details of the proposed amendments?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) In the wake of economic liberalization, the Government have undertaken a review of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. The changes or any revision to be made in the said Act have not yet been finalized and therefore it would be premature to say anything about the nature of amendments to be effected in this act.

(b) and (c) Do not arise in view of reply to (a) above.

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, कांट्रेक्ट लेबर के जो आज के कायदे कानून हैं वे आज के परिपेक्ष्य में कारगर नहीं हैं। जिस हिसाब से दुनिया में ग्लोबल इकॉनोमिक लिबरेलाइजेशन हो रहा है उसके मद्देनजर आज के कायदे कानून सब बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हैं। काफी समय से यह इश्यू पहले भी पिछले हाउस में डिसकसन में आया था उस समय में डॉ. सत्य नारायण जटिया जी ने कुछ समय पहले कहा था नॉट पिछले सेशन में, कि हम इसके ऊपर में सोच-विचार कर रहे हैं और इसको करेंगे। जब सारी दुनिया की इकॉनोमी इतनी तेजी से बदल रही है तो आप इसमें क्यों डिले कर रहे हैं। अभी भी जो जवाब आपने दिया है आप खुद मान रहे हैं कि : "In the wake of economic liberalization, the Government have undertaken a review of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970." आप खुद मारन रहे हैं कि जो आज के परिपेक्ष्य में इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो इसमें आप किसलिए डिले करना चाहते हैं? तो क्यों डिले हैं तथा आज तक यह इश्यू सालों से क्यों पेंडिंग है?

श्री साहिब सिंह वर्मा: ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के पास यह मामला विचाराधीन है। कई बैठकें हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसके बारे में निर्णय हो जाएगा।

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के पास इश्यू रहने से कुछ होने वाला थोड़ी है। आपको प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करना है या डॉमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करना है। अगर आप अपने कायदे-कानून नहीं बनाएंगे तो इसमें ग्रुप आफ मिनिस्टर्स क्या करेगा। इसको आप कब तक पेंडिंग रखना चाहते हैं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सर, जैसा मैंने अभी बताया है कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के पास है, कई बैठकें हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का डिसीजन होगा तो आपके बीच में लेकर आएंगे।

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, कोई टाइम फ्रेम तो होना चाहिए। आज माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं। तो इसमें एक समय का निर्धारण तो होना चाहिए वरना यह परपेच्युअल चलता रहेगा।

श्री सभापति: वे जल्दी से जल्दी करेंगे और जल्दी से जल्दी की कोई परिभाषा नहीं है।

श्री प्रेम गुप्ता: हां, सर, उसकी कोई परिभाषा नहीं है।

SHRI JIBON ROY: Sir, the reply indicates that the Government is contemplating some changes. Would the Government assure that while effecting any change, under no circumstances the permanent duty posts either in the industry or in the State Governments or in the Central Government would be manned by daily-wage workers or contracted workers?

श्री साहिब सिंह वर्मा: चेयरमेन सर, इसमें जो ड्राफ्ट बिल है जो ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के पास विचाराधीन है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या परमानेंट रहने वाले जो काम हैं क्या उसको हम कांट्रेक्ट में लेंगे-हां। उसमें उन्होंने कहा है विचाराधीन जो बात है वह यह है कि स्वीपिंग का काम, क्लीनिंग का काम, लोडिंग-अनलोडिंग का काम, सिक्योरिटी का काम, होर्टिकल्चर का काम, इस तरह के जो काम हैं वे कांट्रेक्ट लेबर के थ्रू करवाए जा सकते हैं। यह जो नया ड्राफ्ट बिल है इसमें इसका प्रोविजन है। और जिन बातों का प्रोवीज़न है क्योंकि इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी पूरी नहीं मिल पाती, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लोगों को...

SHRI JIBON ROY: Sir, my question is specific: whether they are going to allow the filling up of the permanent duty posts, may be sweeper or may be engineer, on a permanent basis, not on contract basis?

श्री साहिब सिंह वर्मा: यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के विचाराधीन है, इसलिए अभी यह बताना कि वे करेंगे या नहीं...

SHRI JIBON ROY: Can't you assure the House? ....*(Interruptions)*

श्री प्रेम गुप्ता: सर, समय निर्धारित होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, perennial nature of job cannot be manned by contractor's labour. Will it not be assured by the Government? It is a constitutional right. After all, Contract Labour Abolition Act is there. The perennial nature of job will not be manned by the contractor labour. Can this assurance not be given?

श्री साहिब सिंह वर्मा: अभी जो एक्ट में प्रोवीज़न है, आपका कहना ठीक है, उसमें यह प्रोवीज़न है कि इस तरह के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हम नहीं रखेंगे। लेकिन अभी जो विचाराधीन मामला है...

श्री दीपांकर मुखर्जी: ऐसे कैसे कर सकते हैं?...(**व्यवधान**)...

श्री जीवन राय: बात तो सब ऐसी है। गवर्नमेंट ड्यूटी...(**व्यवधान**)...डेली वर्कर्स रखेंगे या नहीं? स्टेट गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट ...(**व्यवधान**)... डेली वर्कर्स रखेंगे या नहीं, बात यह है।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the Government of the day cannot tinker with the basic rights. Jobs of perennial nature cannot be manned by contractor. Then, everything, including the Minister, should be on a contract.

श्री सभापति: आप दोनों एक ही पार्टी के हो, एक पर विश्वास करो, एक को बोलने दो आप बैठिए...

श्री जीवन राय: बहुत सीरियस मामला है। ...(**व्यवधान**)...परमानेंट में जो फिलअप होगा डेली वेजिज़ वर्कर्स से, कम से कम ट्रेड यूनियन से बातचीत करके फाइनल करना चाहिए। आप उनके साथ डिसकस करिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: चेयरमैन सर, दो चीजें हैं। एक तो किसी भी इस्टैब्लिशमेंट में दो तरह की एक्टीविटीज चलती है। एक कोर ऐक्टीविटीज़ चलती हैं और एक नॉन कोर ऐक्टीविटीज़ चलती हैं। आपका कहना यह है कि नॉन कोर ऐक्टीविटीज़ में...

श्री जीवन राय: परमानेंट जॉब। ...(**व्यवधान**)... 'Core' is something different. I have worked for 35 years. 'core' is different. 365 रोज काम होता है। ऐसे जॉब जो परेनियल नेचर के हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रखेंगे या नहीं?

श्री साहिब सिंह वर्मा: आप जवाब तो सुनिए।

श्री सभापति: वे सुन रहे हैं आप जवाब दीजिए

श्री साहिब सिंह वर्मा: अभी जो कानून है, आज के कानून में जो बात ये कह रहे हैं, वह बात है। जो 1970 का कानून है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ऐबोलिशन और रेगूलेशन की बात है। अभी जो विचाराधीन प्रस्ताव है, उसमें यह है कि जो पैरेनियल ऐक्टीविटीज़ हैं लेकिन कोर नहीं हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उन ऐक्टीविटीज़ को कॉन्ट्रैक्ट लेबर में दिया जा सकता है, क्लीनिंग, स्वीपिंग, हॉर्टीकल्चर, सिक्योरिटी all such sorts fo activities, which are not core activities in an industry.

NHAI proposal to Karnataka

*489. SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether the National Highways Authority of India has sent a proposal to the Karnataka Government for taking over outer ring roads connecting Hosur-Chennai and Bellary-Tumkur;

(b) if so, whether the State Government has evaluated the above proposal;

(c) whether NHAI had also proposed to levy toll tax on the inter-State transport vehicles;

(d) if so, the amount of toll tax proposed to be levied; and

(e) whether the State Government has given its approval to the above proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS [MAJOR GENERAL (RETD.) B.C. KHANDURI]: (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) National Highways Authority of India has been in consultation with various agencies/department of Government of Karnataka for exploring the possibility of linking the existing National Highways Nos. 4 and 7 (Pune-Bangalore and Hyderabad-Bangalore and Bangalore-Hosur).

(b) Decision of Government of Karnataka is awaited.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise.